न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 12/2021
दायर दिनांक : 05/04/2021
निर्णय दिनांक : 03/11/2025

उनवान

1 प्रथा पिता जयचंद गाडरी निवासी भीमाखेडा तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1 चेना पिता चतरा गाडरी निवासी भीमाखेडा तहसीलदार भूपालसागर
2 पेमा पिता चतरा गाडरी निवासी भीमाखेडा तहसीलदार भूपालसागर
3 बाबरी पुत्री चतरा गाडरी निवासी भीमाखेडा तहसीलदार भूपालसागर हाल मुकाम बाबरी पत्नि भैरूलाल गाडरी निवासी कबीर जी भागल
4 कंकु बैवा चतरा गाडरी निवासी भीमाखेडा तहसीलदार भूपालसागर
5 गणपत पिता कन्ना गाडरी निवासी भीमाखेडा तहसीलदार भूपालसागर
6 तेजपाल पिता कन्ना गाडरी निवासी भीमाखेडा तहसीलदार भूपालसागर
7 कमली बैवा कन्ना गाडरी निवासी भीमाखेडा तहसीलदार भूपालसागर
8 तहसीलदार भूपालसागर

प्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी.

उपस्थिति : 1. श्री मनोज जाट, अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थीया की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से है :

यह कि उक्त अनवान का वादपत्र बाबत इंद्राज दुरूस्ती व बटवाडा आराजियात का न्यायालय आपमें विचाराधीन था जो प्रतिवादी की जिरह हेतु नियत था कि दिनांक 04.09.2019 को पत्रावली केम्प कोर्ट कपासन में पेश हुई और पूर्व आदेशिका अनुसार दिनांक 25.09.2013 से साक्ष्य प्रतिवादी में नियत थी मगर उसके बाद कई बार प्रतिवादी ने साक्ष्य हेतु मौके लिए और दिनांक 04.09.2019 को प्रतिवादी के गवाह भी उपस्थित नही थे तो भी वादी का वादपत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर आदेश जारी कर दिया। विगत 6 साल में बहुत ही कम समय के लिए न्यायालय मे सुनवाई हुई और पेशी दिनांक 04.09.2019 को वादी के आवश्यक कार्य होने से व हमारे अधिवक्ता भी अन्य न्यायालय में पैरवी में व्यस्त होने पैरवी हेतु न्यायालय में उपस्थित नही हो पाए इस कारण अदम पैरवी में उक्त वादपत्र खारिज कर प्राकृतिक न्याय सिदांतों के विपरित निर्णय पारित किया है जिसको अपाश्त करते हुए प्रकरण को पुन नंबर पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादपत्र अदम पैरवी में खारिज हुआ इसकी जानकारी मुझ वादी व मेरे अधिवक्ता ने नही थी क्योकि अधिकतर अदालत की पेशिया तब्दील हो जाने के कारण मुकदमा खारिज होने की जानकारी मिली। उक्त प्रकरण की खारिज होने की जानकारी मुझ वादी के अधिवक्ता को दिनांक 09.02.2021 को हुई उसी दिन हमारे अधिवक्ता ने मुझे सूचना दी व आदेश की नकल का प्रार्थना पत्र भी पेश किया। उक्त वादपत्र अदम हाजरी में भूलवश हुई है जानबूझकर गलती नही की है जिससे यह प्रार्थना पत्र बिना किसी देरी के नकल दिनां 12.02.2021 को मिलते ही अविलंब पेश किया जा रहा है तो भी धारा [illegible] अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश किया जा रहा है इसलिए पुनः नंबर पर लिया जाना [illegible] में आवश्यक है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.14 13:27:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र को पुनः नंबर पर लिए जाने का आदेश फरमावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। बाद सम्मन तामील अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश बाफना उपस्थित आऐ। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर नहीं कर सीधे ही बहस सुनी जाने का निवेदन करने पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 स्वीकार योग्य पाया जाने से स्वीकार किया जाता है। प्रकरण का मूल वाद पुनः नंबर पर लिया जाने के लिये मूल पत्रावली मंगवाई जाने हेतु तहरीर जारी हो। मूल पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.14 13:27:26 IST
Reason: SelfAttested